कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

आदेश संख्या– 223/2020

जिलाधिकारी, सुलतानपुर के पत्रांक–196/जे0ए0 दिनांकित–24.7.2020 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद सुलतानपुर आरेंज जोन (status of zone) में है तथा Level of threat संवेदनशील श्रेणी का है। जिला एवं सत्र न्यायालय सुलतानपुर कोतवाली नगर क्षेत्र के अर्न्तगत एक ही दिन में कोरोना पाजिटिव के 30 व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाने के कारण जिलाधिकारी, सुलतानपुर के आदेश दिनांक–24.07.2020 के कम में नगर पालिका परिषद, सुलतानपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक–25.07.2020 से 31.07.2020 तक पूर्ण लाक डाउन (हॉट स्पॉट) घोषित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1117/ LXXXVII, CPC/e-Courts/ Allahabad Dated: June 03, 2020 सपठित पत्रांकः पी0एस0 (आर0जी0)/52/2020 दिनांकित–02.05.2020 तथा दिनांकित–25.03.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय, सुलतानपुर परिसर में स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक–25.07.2020 से 31.07.2020 तक बन्द किया जाना जिलाधिकारी महोदया की ओर से प्रेषित पत्र के कम में आवश्यक हो गया है।

न्यायालय का न्यायिक कार्य बन्द रहने के दौरान गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के रिमाण्ड तथा जमानत की कार्यवाही अवकाश के दिनों की प्रकिया के अनुसार संचालित रहेगी।

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण अपने निवास स्थान पर नियमित रूप से प्राप्त करते रहेंगे तथा इस सम्बन्ध में अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण में कोई समस्या अथवा व्यवधान होने पर समाधान हेतु नोडल अधिकारी, ई–ट्रेनिंग से सम्पर्क करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश व निर्देश के अनुपालन हेतु प्रशासनिक कार्यालय, नजारत अनुभाग, लेखा अनुभाग तथा केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर केन्द्र के प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी आवश्यकता पर उपलब्ध रहेंगे।

अतः जिलाधिकारी महोदया के पत्र के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त व्यवस्था के तहत जिला न्यायालय परिसर में स्थित सभी न्यायालयों का न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य दिनांक 25.07.2020 से 31.07.2020 तक बन्द रहेगा। उक्त आदेश वाह्य न्यायालयों कादीपुर तथा मुसाफिरखाना पर लागू नही होगा। किसी भी व्यक्ति को पूर्व अनुमति के बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश का अधिकार नही होगा।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की जाय, साथ ही इस आदेश की प्रति बार एसोसिएशन सुलतानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। इस आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड तथा दृष्टिगम्य स्थानों पर भी चस्पा की जावे।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
24.07.2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1–जिलाधिकारी सुलतानपुर/अमेठी।
2–पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर/अमेठी।
3–अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
4–बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
5–जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर।
6–सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, को जिला न्यायावलय, सुलतानपुर की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

24.7.20

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
24.07.2020